तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/11/19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उप० प्रार्थना पत्र 212 सीपीसी पर बहस उभयपक्ष की सुनी गयी। दोनों अधिवक्तागण अपनी नजीरें प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 27/11/19 को पेश हो।
27-12-19	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ. साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्नानुसार दिनांक 8-1-20 को पेश की जावे
8/1/20	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उप० P.O. सा. पं० कुछ के मसरूफ हैं अब पत्रावली पुर्नानुसार दिनांक 27-1-2020 को पेश हो।
27/1/20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उप० पत्रावली में प्रार्थना पत्र 212 सीपीसी पर आदेश नहीं लिखाया जा सका है। पत्रावली वास्ते नजीर बहस/आदेश में दि० 10/2/20 को पेश हो।
10/2/20	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उप०। प्रा०प० 212 सीपीसी पर नजीर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा०प० 212 सीपीसी में दि० 11/2/20 को पेश हो।
11/2/20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उप० प्रार्थीगण का प्रा०प० 212 सीपीसी का सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो/ मुल्तवाई के साथ रहे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
(पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या :: 93/2019

1. बंशीलाल पिता होकमा जाति भील निवासी नाहरगढ तह0 बेगूँ
2. प्रतापी पिता देवीलाल जाति भील हाल पत्नि नानू जी भील निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बेगूँ
3. रूपा पिता कालु जी जाति भील निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. बगदीराम पिता छगनलाल जाति भील निवासी मनासा खुर्द तह.मल्हारगढ जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित :: श्री के0सी0शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक :: 11.02.2020

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र 212 रा.का. अधि. के तहत प्रस्तूत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की पुश्तेनी आराजी मौजा आकोडीया प.ह. इटावा तह. बेगूँ में स्थित होकर जिसके खाता संख्या 61 का आराजी संख्या 225/211 रकबा 1.076 हैक्टर है। विवादित आराजीयात लाला,शंकर,जमना, बालू पिता देवी भील के नाम पर 9/10 हिस्सा ओर प्रतापी ,अणछी कानी मोहनी पुत्री देवी भील हिस्सा 1/10 दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का पैत्रिक सजरा निम्न प्रकार है:–

देवी(फोत)
|
\---

लाला	शंकर	जमना	बालू	मोहनी फोत	प्रतापी	अणछी	कानी फोत
				|			|
				बंशीपुत्र			रूपा पति

यह कि मोनी फोत हो जाने से उसके जायन्दा लडके बंशीलाल पिता होकमा जी भील निवासी नाहरगढ विधिक वारिस होने से वादी संख्या एक के रूप में पक्षकार बनाया गया है तथा कानी ला औलाद फोत हो जाने से उसके पति रूपलाल पिता कालु निवासी लक्ष्मीपुरा विधिक उत्तराधिकारी होन`से प्रार्थी संख्या 3 को पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि खातेदार लाला पिता देवी व अणछी पिता देवी ने अपने हक हिस्से सम्पूर्ण जमीन हक हिस्से 1/10 का 1/4 हिस्सा को विपक्षी सं. 1 बगदीराम को विक्रय कर दिया मौके पर प्रार्थीगण व विपक्षी का अपने हक हिस्से अनुसार मौखिक रूप से मौके पर बटवाडा कर काबीज हो देवीलाल जी के जीवनकाल से ही निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। यह कि विवादित आराजीयात मे से लाला पिता देवी भील निवासी आकोडिया व अणछी पिता देवी भील ने अपने 1/10 हक हिस्से मे से 1/4

-----लगातार

जाने से प्रार्थीगण के हक हिस्से की एवं लाला पिता देवी भील निवासी आकोडिया व अणछी पिता देवी भील के शेष खातेदारी व कब्जेकाश्त की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की अनुचित प्रयास कर रहा है तथा प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करने की नियत से लडाई झगडा करने पर आमादा है, जिसका की उसे अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि विपक्षी सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह दखलंदाजी नही करें न करावें, ओर वादीगण के हक हिस्से व कब्जेकाश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।प्रार्थीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें। इस प्रकार यदि विपक्षी सं.1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका अर्थ में मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। यह कि बिनाय दावा दिनांक 25.06.2019 को वादीगण अपने हक हिस्से की जमीन पर बुवाई करने गये तो विपक्षी संख्या 1 के द्वारा मौके पर लडाई झगडा करने व प्रार्थीगण के हिस्से पर दखलंदाजी करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादपत्र के निस्तारण तक उक्त प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि की राजस्व रेकाड्रर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे एवं प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें न अपने नौकर एजेन्ट आदि से करावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण न्यायालय मे प्रस्तूत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1 की ओर से मूलवादपत्र में अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तूत कर इस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का जवाब प्रस्तूत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार है कि वर्णित आराजीयात में लाला व अणछी का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है। बगदीराम ने लाला से 9/10 का 1/4 अर्थात 9/40 व अण्छी से 1/10 का 1/4 अर्थात कुल का 1/40 इस प्रकार संपूर्ण रकबे का 1/4 हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा अपने हिस्से पर ही काबिज है। यदि विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम हो जायेगा। जिसका विपक्षी ने प्रतिफल देकर क्रय किया है। शेष कथन प्रार्थीगण के अस्वीकार है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तूत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावें।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तूत होने के पश्चात एवं विपक्षी संख्या 2 भूमिधारी की ओर से जवाब प्रस्तूत नहीं होने उपरानत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई । बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार अपनी बहस निवेदन करते हुए कहा कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा भूमि सहखातेदार लाला से 9/10 का का 1/4 हिस्सा व अणछी से 1/10 का 1/4 हिस्सा क्रय किया है जबकि विपक्षी क्रयशुदा हिस्से से अधिक की भूमि पर कब्जा करने पर आमदा है तथा उन्हें कब्जा करने से मना किये जाने पर विपक्षी प्रार्थीगण से लडाई झगडा करने पर आमदा है। अतः विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा सहखातेदारान में से लाला व अणछी के निहित हक हिस्से में से 1/4 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, कब्जा क्रयशुदा भूमि पर ही विपक्षी द्वारा किया गया है अधिक भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये है, विपक्षी भी अब प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि के सहखातेदार है , तथा वर्णित भूमि का विधिवतरूप से विभाजन नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त भी है कि सहखातेदारी की भूमि

-----लगातार

Scanned by CamScanner

पर किसी भी सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत 212 आर.टी.एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस सुने जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओं पर निस्तारण इस प्रकार से किया जाता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण ::

पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तूत नकल जमाबंदी मौजा आकोडिया प.ह. ईटावा सं. 2073–76 का अवलोकन किया गया, जमाबंदी में अंकित आराजी संख्या 225/211 रकबा 1.076 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री लाला शंकर जमना बालू पिता देवी मु.भूरी प.स्व. देवी भील सा. देह खातेदार अंकित है तथा जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है कि नामा0सं0 289 दिनांक 23.10.2017 विरासत भूरी फोत के बजाय श्री लाल शंकर जमाना बालू पिता देवी 9/10 प्रतापी अणछी कानी मोहनी पुत्रिया देवी 1/10 भील सा0 देह खातेदार दर्ज करने की स्वीकृति का अंकन किया हुआ है। पत्रावली में प्रस्तूत नकल विक्रय पत्र आराजी का अवलोकन किया जाने से पाया कि लाला पिता देवी जी भील व अणछी पुत्री देवी जी भील द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि में से 1/4–1/4 हिस्से का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से विपक्षी श्री बगदीराम भील को किया है तथा नकल जमाबंदी मौजा आकोडिया की सं. 2073–76 में नामान्तरण संख्या 304 दिनांक 05.07.2019 द्वारा विक्रय से खाता री बगदीराम पिता छगनलाल भील 1/4 सा. मनसा खुर्द तह0 मलहरगढ जिला मंदसौर म0प्र0 शंकर जमा बालू पिता देवी 27/40 प्रतापी कानी मोहनी पुत्रिया देवी 3/40 भील सा0देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। का अंकन अंकित है। इस प्रकार पत्रावली में प्रस्तूत दस्तावेज अनुसार प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी की सहखातेदारी की भूमि है जिसका की विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। हमारी विनम्र राय अनुसार सहखातेदारी की संयुक्त भूमि में किसी भी सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है, अधिवक्ता विपक्षी के कथन से हम सहमत है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन ::

प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि जो कि संयुक्त खातेदारी की भूमि है मे से विपक्षी संख्या 1 द्वारा भूमि खातेदार लाला पिता देवी जी भील व अणछी पुत्री देवी जी भील से उनके निहित हक हिस्से में से 1/4–1/4 भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किया गया है तथा भूमि का कब्जा भी प्राप्त किया गया है, वर्तमान में विपक्षी प्रार्थीगण के साथ संयुक्त खातेदार है, जिन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षी खातेदार अपने खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम हो जावेगा तथा विपक्षी को आर्थिक क्षति भी होगी, वर्णित आराजीयात का विभाजन नहीं होने पर किसी भी सहखातेदार को पाबंद किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होने से व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होकर विपक्षी के पक्ष में सिद्ध होता है।

अपूर्णीय क्षति ::

प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि के विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के साथ साथ सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है जिन्होने भूमि का क्रय जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा सहखातेदार लाला भील व अणछी भील से कर कब्जा भूमि का प्राप्त किया है, दस्तावेजी सबूत अनुसार यह सिद्ध नहीं होता है कि केता विपक्षी द्वारा क्रयशुदा भूमि से अधिक की भूमि पर क़ब्जा किया गया हो ? यदि विपक्षी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो निश्चित ही उन्हें आर्थिक क्षति होगी वह अपनी क्रयशुदा खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम हो जावेगें। प्रार्थीगण को आर्थिक क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। यह बिन्दु भी विपक्षी के पक्ष में सिद्ध होता है।

-----लगातार

Scanned by CamScanner

इस प्रकार प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीनों मुख्य बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति को सिद्ध करा पाने में प्रार्थीगण पूर्णतया असफल रहे है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.02.2020 को लिखया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

11/2

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner